

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ
पीठासीन अधिकारी का नाम : पंकज गढ़वाल (आर०ए०एस०)
प्रकरण संख्या - 419/2023

अनवान : -

1. बाबुलाल पुत्र पूर्णराम जाति सुनार निवासी टोपरिया तहसील नोहर।

- वादी

बनाम

1. गिरधारी पुत्र पूर्णराम जाति सुनार निवासी टोपरिया तहसील नोहर।
2. देवकरण पुत्र पूर्णराम जाति सुनार निवासी टोपरिया तहसील नोहर।
3. बेगराज पुत्र पुत्र पूर्णराम जाति सुनार निवासी टोपरिया तहसील नोहर।
4. भानीराम पुत्र पुत्र पूर्णराम जाति सुनार निवासी टोपरिया तहसील नोहर।
5. मन्जु पुत्री कृष्ण जाति सुनार निवासी टोपरिया तहसील नोहर।
6. सचिन पुत्र कृष्ण जाति सुनार निवासी टोपरिया तहसील नोहर।
7. सन्जु कुमारी पुत्री कृष्ण जाति सुनार निवासी टोपरिया तहसील नोहर।
8. सिलोचना पुत्री कृष्ण जाति सुनार निवासी टोपरिया तहसील नोहर।
9. सीता पत्नी पूर्णराम जाति सुनार निवासी टोपरिया तहसील नोहर।
10. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

- प्रतिवादीगण

दावा बाबत खाता विभाजन अन्तर्गत धारा
53 राजस्थान कास्तकारी अधिनियम

उपस्थिति :- श्री राजपाल झोरड़ अधिवक्ता वादी

पेरोकार राज

निर्णय

दिनांक: 23/06/2025

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद राजस्थान कास्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 53 के अन्तर्गत इस आशय का पेश किया है कि रोही मौजा चक 20 आरडब्ल्यूडी थालड़का तहसील नोहर के खाता संख्या 62/60 की कुल 6.5780 हैक्ट भूमि वादी व प्रतिवादीगण के नाम संयुक्त खाता में दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादीगण की मुश्तरका खाता में दर्ज राजस्व रिकार्ड है। वाद भूमि का खाता व लगान मुश्तरका रहने से आपस में सीव डोल आदि का झगड़ा बना रहता है तथा लगान के संबंध में तनाजात रहते हैं इसलिए हक हिस्सा व कब्जा कास्त के मुताबिक वादी अपना खाता व लगान अलग करवा पाने का अधिकारी है।

वादी ने प्रतिवादीगण को कई मर्तबा कहा की विवादित भूमि का मुताबिक हक हिस्सा व कब्जा कास्त के खाता एवं लगान तकसीम करवा ले तो कई दिन तक आजकल आजकल करते रहें आखिर इन्कार हो गये इसलिए यह दावा पेश किया गया है।

अतः वाद वादी घोषणा की जावें की रोही मौजा चक 20 आरडब्ल्यूडी थालड़का तहसील नोहर के खाता संख्या 62/60 की कुल 6.5780 हैक्ट भूमि में वादी एवं प्रतिवादीगण के नाम संयुक्त खाता में दर्ज राजस्व रिकार्ड है का खाता व लगान अलग अलग किया जावे।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 9 को सम्यक नोटिस तामिल होने के उपरान्त भी न्यायालय में उपस्थित नहीं अतः इनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रतिवादी संख्या 110 पेरोकार राज ने जवाब पेश किया जो की शामिल मिसल किया गया। साक्ष्य वादी में वादी द्वारा शपथ पत्र पेश किया गया जिस पर पर जिरह नहीं करने के कारण जिरह शुन्य रह तत्पश्चात बहस सुनी गयी।



अधिकारी
नोहर

बहस सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने अर्जीदावा के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया राजस्व रिकार्ड में हक हिस्सा अनुसार मुताबिक दावा के अनुतोष वाद वादी प्राथमिक डिक्री किये जाने का निवेदन किया। वाद वादी प्राथमिक डिक्री किया जाकर तहसीलदार नोहर से विभाजन प्रस्ताव प्राप्त किया गया।

विभाजन प्रस्ताव पर बहस सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने अर्जीदावा के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया की मुताबिक विभाजन प्रस्ताव वाद वादी डिक्री किया जावे।

वादी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक विभाजन प्रस्ताव स्वीकार योग्य है।

अतः वाद वादी मुताबिक विभाजन प्रस्ताव अन्तिम डिक्री किया जाकर रोही मौजा चक 20 आरडब्ल्यूडी थालड़का तहसील नोहर के खाता संख्या 62/60 की कुल 6.5780 हैक्ट का पक्षकारान के हिस्सा अनुसार निम्नानुसार खाता व लगान अलग से कायम किया जाता है—

- 1 वादी का रकबा — प0न0 236/398(7) किला न0 2/0.025, 9/0.141, 12, 19, 22 की 0.759 कुल 0.925 हैक्ट
- 2 प्रतिवादी स0 1 व 2 का रकबा— प0न0 236/398(7) किला न0 4/0.104, 5, 6, 15, 16, 25 की 1.265 हैक्ट, प0न0 236/399(18) 5, 6 की 0.506 हैक्ट—1.597 कमांड, 0.253 अनकमांड, 0.025 हैक्ट गै0मु0 खाला कुल 1.875 हैक्ट
- 3 प्रतिवादी स0 3 व 4 का रकबा— प0न0 236/398(7), 2/.129, 3/.246, 8/.247, 13/.246, 18/.247, 23/.253 236/399(18) 2, 3 की 0.506— 1.824 हैक्ट कमांड, 0.050 हैक्ट गै0मु0 खाला, कुल 1.874 हैक्ट
- 4 प्रतिवादी स0 6 व 8 का रकबा— प0न0 236/398(7) 4/.143, 7/.246, 14/.247, 17/.246, 24/.030 कुल 0.912 हैक्ट कमांड
- 5 प्रतिवादी स0 9 का रकबा— प0न0 236/398(7) किला न0 2/0.099, 9/0.112, 24/0.223, 236/399(18) 4 व 7 की 0.506 — 0.915 कमाण्ड, अ0क0, 0.025 हैक्ट गै0मु0 खाला कुल 0.940 हैक्ट
- 6 प्रतिवादी स0 3, 4, 6 व 8, 9 का रकबा— प0न0 236/398(7) के किला न0 3/0.007, 4/0.006, 7/0.007, 8/0.006 13/0.007, 14/0.006, 17/0.007, 18/0.006 कुल 0.052 हैक्ट कमांड

तहसीलदार नोहर को आदेशित किया जाता है कि किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश नही हो तो उपरोक्तानुसार खाता व लगान अलग से कायम करते हुए राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जाकर राजस्व रिकार्ड दुरुस्त किया जावें। यदि पक्षकारान का हिस्सा किसी बैंक के रहन है तो रहन को पक्षकारान के हिस्सा पर स्थानान्तरण करते हुए राजस्व रिकार्ड में उपरोक्तानुसार अमल दरामद किया जावे एव तहसीलदार नोहर के विभाजन प्रस्ताव व नजरीय नक्शा को अन्तिम डिक्री का भाग पढ़ा जावें। खर्चा उभयपक्षकारान अपना-अपना वहन करे। अन्तिम पर्चा डिक्री जारी हों।

निर्णय आज दिनांक 23/06/2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

अंतिम पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ
पीठासीन अधिकारी का नाम : पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)
प्रकरण संख्या - 419/2023

अनवान : -

1. बाबुलाल पुत्र पूर्णराम जाति सुनार निवासी टोपरिया तहसील नोहर।

- वादी

बनाम

1. गिरधारी पुत्र पूर्णराम जाति सुनार निवासी टोपरिया तहसील नोहर।
2. देवकरण पुत्र पूर्णराम जाति सुनार निवासी टोपरिया तहसील नोहर।
3. बेगराज पुत्र पुत्र पूर्णराम जाति सुनार निवासी टोपरिया तहसील नोहर।
4. भानीराम पुत्र पुत्र पूर्णराम जाति सुनार निवासी टोपरिया तहसील नोहर।
5. मन्जु पुत्री कृष्ण जाति सुनार निवासी टोपरिया तहसील नोहर।
6. सचिन पुत्र कृष्ण जाति सुनार निवासी टोपरिया तहसील नोहर।
7. सन्जु कुमारी पुत्री कृष्ण जाति सुनार निवासी टोपरिया तहसील नोहर।
8. सिलोचना पुत्री कृष्ण जाति सुनार निवासी टोपरिया तहसील नोहर।
9. सीता पत्नी पूर्णराम जाति सुनार निवासी टोपरिया तहसील नोहर।
10. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

- प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 1012 सन 2022 निर्णय दिनांक 23/06/2025

आज यह वाद मुझ पंकज गढ़वाल उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष उभयपक्ष की उपस्थिति में निर्णायार्थ प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों के आधार साबित होने के कारण मुताबिक विभाजन प्रस्ताव अन्तिम डिक्री किया जाकर रोही मौजा चक 20 आरडब्ल्यूडी थालड़का तहसील नोहर के खाता संख्या 62/60 की कुल 6.5780 हैक्ट का पक्षकारान के हिस्सा अनुसार निम्नानुसार खाता व लगान अलग से कायम किया जाता है-

- 1 वादी का रकबा - प0न0 236/398(7) किला न0 2/0.025, 9/0.141, 12, 19, 22 की 0.759 कुल 0.925 हैक्ट
- 2 प्रतिवादी स0 1 व 2 का रकबा- प0न0 236/398(7) किला न0 4/0.104, 5, 6, 15, 16, 25 की 1.265 हैक्ट, प0न0 236/399(18) 5, 6 की 0.506 हैक्ट-1.597 कमांड, 0.253 अनकमांड, 0.025 हैक्ट गै0मु0 खाला कुल 1.875 हैक्ट
- 3 प्रतिवादी स0 3 व 4 का रकबा- प0न0 236/398(7); 2/.129, 3/.246, 8/.247, 13/.246, 18/.247, 23/.253 236/399(18) 2, 3 की 0.506- 1.824 हैक्ट कमांड, 0.050 हैक्ट गै0मु0 खाला, कुल 1.874 हैक्ट
- 4 प्रतिवादी स0 6 व 8 का रकबा- प0न0 236/398(7) 4/.143, 7/.246, 14/.247, 17/.246, 24/.030 कुल 0.912 हैक्ट कमांड
- 5 प्रतिवादी स0 9 का रकबा- प0न0 236/398(7) किला न0 2/0.099, 9/0.112, 24/0.223, 236/399(18) 4 व 7 की 0.506 - 0.915 कमाण्ड, अ0क0, 0.025 हैक्ट गै0मु0 खाला कुल 0.940 हैक्ट
- 6 प्रतिवादी स0 3, 4, 6 व 8, 9 का रकबा- प0न0 236/398(7) के किला न0 3/0.007, 4/0.006, 7/0.007, 8/0.006 13/0.007, 14/0.006, 17/0.007, 18/0.006 कुल 0.052 हैक्ट कमांड

तहसीलदार नोहर को आदेशित किया जाता है कि किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश नहीं हो तो उपरोक्तानुसार खाता व लगान अलग से कायम करते हुए राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जाकर राजस्व रिकार्ड दुरुस्त किया जावें। यदि पक्षकारान का हिस्सा किसी बैंक के रहन है तो रहन को पक्षकारान के हिस्सा पर स्थानान्तरण करते हुए राजस्व रिकार्ड में उपरोक्तानुसार अमल दरामद किया जावे एवं तहसीलदार नोहर के विभाजन प्रस्ताव व नजरीय नक्शा को अन्तिम डिक्री का भाग पढ़ा जावें। खर्चा उभयपक्षकारान अपना-अपना वहन करे।

यह अंतिम डिक्री आज दिनांक 23/06/2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(पंकज गढ़वाल R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर